

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

मुकदमा नं.149...../ 2018 अंतर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट 1956

उनवान :- राज्य सरकार बनाम

निर्णय

दिनांक :- 16-8-18

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि गैर सायल पुत्र/पत्नी श्री जाति निवासी द्वारा ग्राम के आराजी ख.नं. तादादी हैक्टयर किस्म भूमि भूमि में से हैक्टयर/वर्गमीटर भूमि पर सम्बत् में नाजायज अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरुद्ध नियमानुसर कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 क नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत् तामिल कराया गया। गैर सायल बावजूद विधिवत् नोटिस तामिल के असालतन व वकालतन उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरुद्ध दिनांक को ईकतरफ कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज/ सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई संतोषजनक जवाब/सबूत प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल का उक्त ख.नं. तादादी हैक्टयर भूमि में से हैक्ट. /वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल पुत्र/पत्नी श्री जाति निवासी द्वारा ग्राम के आराजी ख.नं. तादादी हैक्टयर गै.मु. भूमि में से हैक्टयर/वर्गमीटर भूमि का सम्बत् का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान रूपये का 50 गुणा से रूपये शास्ती आरोपित की जाती है।

त.रा.ले. को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू.अ.नि.को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।